न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 30/2021
दायर दिनांक : 02/09/2021
निर्णय दिनांक : 04/11/2025

उनवान

1. सोसरदेवी पत्नी गोपीलाल गाडरी निवासी सुनारियाखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. कालू पिता रूपा गाडरी निवासी कानपुरा सोमरवालों का खेड़ा तहसील राशमी
2. मांगीलाल पिता श्रीलाल लौहार निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. लहरीबाई पत्नी नारायणलाल माली निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. उपपंजीयक, भूपालसागर
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री किशनलाल जाट , अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री हरीश तुलछिया, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में पेश कर दिया जिस पर कुलिया सुनवाई होने में समय लगेगा। यह कि प्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात मौजा कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर के अन्दर हल्के बैरूनी में स्थित है। जिसके खाता सं. 173 के हाल आ.सं. 1314 रकबा 0.40 है., आ.सं. 1315 रकबा 0.30 है., आ.सं. 1316 रकबा 0.12 है., आ.सं. 1318 रकबा 0.05 है., आ.सं. 1319 रकबा 0.24 है., आ.सं. 1320 रकबा 0.71 है., आ.सं. 1321 रकबा 0.80 है., आ.सं. 1322 रकबा 0.06 है., आ.सं. 1324 रकबा 0.07 है., आ.सं. 1326 रकबा 1.30 है., आ.सं. 1328 रकबा 0.67 है., आ.सं. 1329 रकबा 0.86 है., आ.सं. 1332 रकबा 0.10 है., आ.सं. 1335 रकबा 0.31 है. किता 16 रकबा 6.39 है. स्थित है जिसमें प्रार्थिया का 1/3 हक हिस्से की रिकार्ड एवं खातेदार काश्तकार है सबूत के लिए चालू जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2 में वर्णित आराजियात प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मौके पर बंटवारा कर रखा है तथा प्रार्थिया ने डोल लगवा कर मेडबंदी कर रखी है तथा प्रार्थिया ने अपनी आराजियात को काफी लागत लगाकर उपजाउ बनाई है काली मिट्टी भरवाई लेकिन अप्रार्थीगण आये दिन लडाई झगडा करते हैं तथा प्रार्थिया का कब्जा हटाने पर आमादा हैं इस कारण वादिया ने बंटवारा का दावा पेश किया है। वादगत आराजियात प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है दोनो पक्षों के बीच मौके पर बंटवारा ... है तथा प्रार्थिया के द्वारा अपनी आराजियात के चारों तरफ मेडबंदी कर रखी ... आये दिन लडाई झगडा करते हैं तथा प्रार्थिया का कब्जा हटाने की धमकी ... है जबकि प्रार्थिया ... अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आराजियात जो खबड खाबड थी जिसको काफी लागत लगाकर के व काली मिट्टी भरकर उपजाउ बनाया है तथा वादगत आराजियात से प्रार्थिया का कब्जा हटा करके अप्रार्थीगण अन्य व्यक्ति को विक्रय करनेपर आमदा हैं। जबकि रिकार्डेड बंटवारा नहीं कर रखा है तथा प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक खातेदार काश्तकार है तथा जब तक विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वादगत आराजियात को अप्रार्थीगण को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्ष प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2 में वर्णित आराजियात को अप्रार्थीगण बह, बक्षीस, विक्रय, दान, वसीयत नहीं करें, आराजियात में खडे हरे पेड पौधे नहीं काटे प्रार्थिया का कब्जा नहीं हटावें तथा अप्रार्थी सं. 4 वादगत आराजियात के किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें ऐसा न स्वयं करें न ही अपने नौकर एजेन्ट आदि से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से वकील श्री बी.एस.गौड़ ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री हरीश तुलछिया ने अधिकार पर पेश किया। वकील उभयपक्ष एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होना बताया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाने से अस्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:26 IST
Reason: SelfAttested